न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 526/2018

अनवान : –

1. भारत पुत्र बृजलाल जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवास वार्ड स0 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स० 18 नोहर तहसील नोहर।
2. फुलाराम पुत्र हीराराम जाति सांनी निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. रमेश पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर
4. सुरजा पुत्री फुलाराम पत्नी श्यामलाल जाति सांसी निवासी नथवानिया तहसील नोहर
5. गंगादेवी पुत्री फुलाराम पत्नी गंगाराम जाति सांसी निवासी जोगीआसन तहसील नोहर
6. राजो पुत्री फुलाराम पत्नी पीरारान जाति सांसी निवासी चुरू
7. सोमा पुत्री फुलाराम पत्नी किसनाराम जाति सांसी निवासी नूरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ ।
8. सुनीता पुत्री फुलाराम पत्नी सुनिल जाति सांसी निवासी चुरू।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

10. रोहित 11. सीमा 12. पिंकी 13. लक्ष्मी पुत्री/पुत्रीया बृजलाल जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 24 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 48/52 के ख0न0 349/442 मु0न0 31 के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट, कुल 2 किता की 0.4810 हैक्ट भूमि प०न0 349/443 मु0न0 33 के किला न० 4 की 0.2530 हैक्ट, 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0. 2530 हैक्ट, कुल 4 किता 0.9610 हैक्ट भूमि मु0न0 65/2 के किला न00/2 की 0. 0760 हैक्ट, कुल 1 किता की 0.0760 हैक्ट कुल 7 किता की 1.5180 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसके वादी की दादी बखी जोजा फुलाराम जा[illegible] खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण [illegible] दादी बखी पत्नी फुलाराम की खातेदार कृषि भूमि है। इसलिए वाद भूमि हिन्दू [illegible] की जद्दी जायदाद है। तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 10 ता 13 व प्रतिवादी स० 1 के कोपार्सनर है। [illegible] वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 10 ता 13 का प्रतिवादी स० 1 के साथ वाद भूमि में प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 10 ता 13 का पैदायशी हक व हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चूंकि वाद भूमि प्रतिवादी स० 1 ने अपने नाम कतई अनुचित व गलत तौर से कर्ता खानदान होने के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली जिसे कलमजन करवाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 10 ता 13 प्रतिवादी स० के साथ ब.हि.व. की खातेदार काश्तकार घोषित करापाने का अधिकारी है।

रोही मौजा चक न0 24 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 48/52 की कुल तादादी 1,5180 हैक्ट भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी स० 10 ता 13 का प्रतिवादी स० 1 के सथ ब०हि०ब० के 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी स0 2 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी स० 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 ता 8 का 5/8 हिस्सा के सयुक्तत खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स० 4 ता 8 ने अपना 5/8 हिस्सा की भूमि बखी की मृत्यु दिनांक 11.1.2010 को हुई उसके बाहरवे पर रिश्तेदारो की मौजूदगी में प्रतिवादी स० 4 ता 8 ने अपने भाईयों प्रतिवादी स० 1 व 3 व अपने पिता प्रतिवादी स० 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादी स० 4 ता 8 के भात छुछक दान व दहेज से खुश होकर उन्होने अपना हक व हिस्सा पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग (तर्क) कर दिया जिससे उकत भूमि में प्रतिवादी स० 1 के 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी स० 10 ता 13 सयुक्ततः प्रतिवादी स० 1 के साथ 0.506 हैक्ट के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी स० 2 का 0.506 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी स० 3 का 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आश्यों की वादी घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व तरतीबीप्रतिवादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] हक को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:35 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगणे की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 24 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 48/52 के ख0न0 349/442 मु0न0 31 के किला न0 24 की 0. 2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट, कुल 2 किता की 0.4810 हैक्ट भूमि प०न0 349/443 मु0न0 33 के किला न० 4 की 0.2530 हैक्ट, 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0. 2530

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

हैक्ट, कुल 4 किता 0.9610 हैक्ट भूमि मु0न0 65/2 के किला न00/2 की 0.0760 हैक्ट, कुल 1 किता की 0.0760 हैक्ट कुल 7 किता की 1.5180 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग किया हुआ हो। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अत प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अत वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 डीपीएन तहसील के प0न0 349/442 मु0न0 31 के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट, कुल 2 किता की 0.4810 हैक्ट भूमि प०न0 349/443 मु0न0 33 के किला न० 4 की 0. 2530 हैक्ट, 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट कुल 4 किता 0.9610 हैक्ट भूमि मु0न0 65/2 के किला न00/2 की 0.0760 हैक्ट, कुल 1 किता की 0.0760 हैक्ट कुल 7 किता की 1.5180 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। उक्त खाता से अपवादित के नोट का अंकन हटाया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 526/2018

अनवान : –

1. भारत पुत्र बृजलाल जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवास वार्ड स0 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स० 18 नोहर तहसील नोहर।
2. फुलाराम पुत्र हीराराम जाति सांनी निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. रमेश पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर
4. सुरजा पुत्री फुलाराम पत्नी श्यामलाल जाति सांसी निवासी नथवानिया तहसील नोहर
5. गंगादेवी पुत्री फुलाराम पत्नी गंगाराम जाति सांसी निवासी जोगीआसन तहसील नोहर
6. राजो पुत्री फुलाराम पत्नी पीरारान जाति सांसी निवासी चुरू
7. सोमा पुत्री फुलाराम पत्नी किसनाराम जाति सांसी निवासी नूरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ ।
8. सुनीता पुत्री फुलाराम पत्नी सुनिल जाति सांसी निवासी चुरू।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

10. रोहित 11. सीमा 12. पिंकी 13. लक्ष्मी पुत्री/पुत्रीया बृजलाल जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 526 सन 2018 निर्णय दिनांक 03/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 डीपीएन तहसील के प0न0 349/442 मु0न0 31 के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट, कुल 2 किता की 0.4810 हैक्ट भूमि प०न0 349/443 मु0न0 33 के किला न० 4 की 0. 2530 हैक्ट, 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट कुल 4 किता 0.9610 हैक्ट भूमि मु0न0 65/2 के किला न00/2 की 0.0760 हैक्ट, कुल 1 किता की 0.0760 हैक्ट कुल 7 किता की 1.5180 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। उक्त खाता से अपवादित के नोट अंकित हटाया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर